

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएस

प्रकरण सं० : 62/2022

अनवान :

1. संदीप पुत्र सुभाष जाति ब्राह्मण निवासी जोगीवाला त० भादरा।

:- वादी

व नाम


1. सुभाष पुत्र श्री रूघाराम जाति ब्राह्मण निवासी जोगीवाला त० भादरा।
2. सोनिया पुत्री सुभाष जाति ब्राह्मण निवासी जोगीवाला त० भादरा।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डावडी जरिये शाखा प्रबंधक डावडी त० भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सजय कुमार एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 जेजीडब्ल्यू के खाता सं 354/311 के मु०न० 106 के किला न० 16,17,18,19 प्रत्येक की 0.253 है०, किला न० 20/1 की 0.240 है०, किला न० 20/2 की 0.013 है० गैर मुमकिन रास्ता, किला न० 21/1 की 0.240 है०, किला न० 21/2 की 0.013 है० गैर मुमकिन रास्ता, किला न० 22, 23, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है० कुल किला 12 की 2.530 है० जिसमें 2.504 है० नहरी व 0.0260 है० गैरमु० रास्ता तथा चक 9 जेएसएल के खाता संख्या 381/356 के मु०न० 11 के किला न० 1, 2, 3, 10 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी कुल किला 4 की 1.012 है० नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित वाद भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 सुभाष अकंले के वजाय वादी संदीप, प्रतिवादी सं० 1 सुभाष, प्रतिवादी संख्या 2 सोनिया को वहिस्सा बराबर 1/3-1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.03.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




 (शकुन्तला चौधरी)
 (फास्ट ट्रैक) भादरा
 R.A.S.
 सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
 भादरा, जिला हनुमानगढ़